| | |
|---|---|
| | (11) |
| | **Note :** For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :**<br>1. Additional Director General Quality Assurance (Administration) —Chairman<br>2. Joint Director from Administration Directorate —Member<br>3. Deputy Director (Administration-10) —Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[F. No. A/86320/RR/PA/DGQA/Adm-10/1310/D(QA)/2012]
SUBHASH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2012

**का.नि.आ. 52.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, महानिदेशक क्वालिटी आश्वासन, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय पद (ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी-II, फोटोग्राफर श्रेणी-I, और फोटोग्राफर श्रेणी-II) भर्ती नियम, 2001, को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी-II से है और गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, समूह 'ख', अननुसचिवीय पद (मुख्य फोटोग्राफर और ज्येष्ठ फोटोग्राफर समूह 1) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में मुख्य फोटोग्राफर और ज्येष्ठ फोटोग्राफर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' पद (मुख्य फोटोग्राफर और ज्येष्ठ फोटोग्राफर) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. मुख्य फोटोग्राफर | *03 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-2, 9,300—34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| (10) | (11) |
| प्रोन्नति द्वारा | **प्रोन्नति :**<br>ऐसा ज्येष्ठ फोटोग्राफर जिसने वेतन जिसने बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की है ।<br>**टिप्पण 1.**—इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर ज्येष्ठ फोटोग्राफर का पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए मुख्य फोटोग्राफर की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अर्हक या पात्रता सेवा तीन वर्ष जारी रहेगी ।<br>**टिप्पण 2.**—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित |

| (11) |
|---|
| अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—**<br>1. अपर महानिदेशक, क्वालिटी आश्वासन (प्रशासन) —अध्यक्ष<br>2. प्रशासन निदेशालय का संयुक्त निदेशक —सदस्य<br>3. उपनिदेशक (प्रशासन-10) —सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. ज्येष्ठ फोटोग्राफर [भूतपूर्व ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी-I और ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी-II के पद] | *17 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तम किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-2, 9,300—34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.) | चयन | 30 वर्ष से अधिक नहीं।<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।<br>**टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| | (6) |
|---|---|
| | **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए । |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| **आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फाइन आर्ट में डिग्री । और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संगठन या उपक्रम से फोटोग्राफी में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2 :** उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । | नहीं | दो वर्ष |

| (10) | (11) |
|---|---|
| पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | वेतन बैंड-1 में वेतनमान 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में ऐसे फोटोग्राफर श्रेणी-I, जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की है । **टिप्पण 1 :** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर फोटोग्राफर श्रेणी-I, का पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए ज्येष्ठ फोटोग्राफर की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अर्हक या पात्रता सेवा तीन वर्ष जारी रहेगी । **टिप्पण 2 :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से |

| (11) |
|---|
| जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए ) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—**<br>1. अपर महानिदेशक, क्वालिटी आश्वासन (प्रशासन) —अध्यक्ष<br>2. प्रशासन निदेशालय से संयुक्त निदेशक —सदस्य<br>3. उपनिदेशक (प्रशासन-10) —सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है । |

[फा. सं. ए/86320/आरआर/फोटो/ग्रुप 'बी'/डीजीक्यूए/प्रशा-10/1311/डी(क्यूए)/2012]

सुभाष चंद, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2012

**S.R.O. 52.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial posts (Senior Photographer Grade-II, Photographer Grade-I and Photographer Grade-II) Recruitment Rules, 2001 in so far as they relate to the post of Senior Photographer Grade-II and the Directorate General Quality Assurance, the Department of Defence Production and Supplies Group 'B' Non-Ministerial posts (Chief Photographer and Senior Photographer Grade-I) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Photographer and Senior Photographer, in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely:-

**1. Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'B' posts (Chief Photographer and Senior Photographer) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These shall apply to the posts specified in the Column 1 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**5. Disqualification.**—No person—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Chief Photographer | 03* (2012) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4600 | Selection | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made |
|---|---|
| (10) | (11) |
| By promotion | **Promotion :** From Senior Photographer in the pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200, with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.<br>**Note 1:** The qualifying or eligibility service for promotion to the grade of Chief Photographer shall continue to be three years for persons holding the feeder post of Senior Photographer on regular basis on the date of notification of these rules.<br>**Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| (11) |
|---|
| Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :**<br>1. Additional Director General Quality Assurance (Administration) —Chairman<br>2. Joint Director from Administration Directorate —Member<br>3. Deputy Director (Administration-10) —Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Senior Photographer [Erstwhile posts of Senior Photographer Grade-I and Senior Photographer Grade-II] | 17* (2012)<br>*Subject to variation dependent workload. | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 | Selection | Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government).<br>**Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br>**Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| **Essential :**<br>(i) Degree in Fine Arts from a recognized University or Institute; and<br>(ii) Two years experience in Photography from a recognized Organisation or Undertaking,<br>**Note1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified,<br>**Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | Not applicable | Two years |

| (10) | (11) |
|---|---|
| Fifty percent by promotion;<br>fifty percent by direct recruitment | **Promotion :**<br>Photographer Grade-I in the pay scale of Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800 in pay band-1 with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.<br>**Note 1:** The qualifying or eligibility service for promotion to the grade of Senior Photographer shall continue to be three years for persons holding the feeder post of Photographer Grade-I on regular basis on the date of notification of these rules.<br>**Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **Group 'B' Departmental Promotion Committee ( for considering promotion and confirmation) consisting of :**<br>1. Additional Director General Quality Assurance (Administration) —Chairman | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

| (12) | |
|---|---|
| 2. Joint Director from Administration Directorate | —Member |
| 3. Deputy Director (Administration-10) | —Member |

[F. No. A/86320/RR/Photo/Group 'B'/DGQA/Adm-10/1311/D(QA)/2012]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2012

**का.नि.आ. 53.**—चूँकि आईसी-45121 एन कर्नल जे.एस.सोई के त्याग पत्र दिए जाने और जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान उसे स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप छावनी, बोर्ड फिरोजपुर, की सदस्यता में एक रिक्ति हुई है; केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उप-धारा (8) के अनुसरण में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख को आफिसर कमांडिंग, फिरोजपुर स्टेशन द्वारा लिखित में आदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सेना आफिसर को उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में छावनी बोर्ड, फिरोजपुर के नामनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

| क्रम सं. | नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम | नामनिर्देशन की तारीख |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | आईसी-38108 एफ कर्नल जे. एस. साही | 27 सितंबर, 2010 |

[फा. सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 4th July, 2012

**S.R.O. 53.**—Whereas one vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Ferozepur by virtue of resignation of IC-45121N Col. J.S. Soin and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Western Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of Section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the military officer specified in column (2) of The Table below, nominated by name by order in writing by the Officer Commanding Ferozepur Station on the date specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (3) of Section 12 of the said Act, as nominated member of Cantonment Board, Ferozepur, namely :—

| Sl. No. | Name of the nominated members | Date of nomination |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | IC-38108F Col. J.S. Sahi | September 27, 2010 |

[F. No. 14(1)/2011/D(Q & C)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जून, 2012

**का.नि.आ. 54.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वायु सेना अनौद्योगिक समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायु सेना में बहुकार्य कर्मचारी वृन्द समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायु सेना में बहुकार्य कर्मचारी वृन्द समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।